अहकाम जो
की तामील में

(पीठासीन अधिकारी ...)
पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं0 1/65/18

निर्णय दिनांक : 08.06.2018

उनवान

1. वेदराम पुत्र श्री सुखमल जाति जाटव निवासी मेवखेडा हाल निवासी देसूला ।
..............................वादी

बनाम

1. शीशराम पुत्र श्री अमरा
2. फूलसिंह पुत्र श्री रामसिंह
3. सुरेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह जाति जाटव निवासी मेवखेडा तहसील रामगढ
.......................असल प्रतिवादीगण

4. सन्ता पुत्री श्री सुखमल
5. रामकली पुत्री श्री सुखमल
6. सावत्री पुत्री श्री सुखमल
7. विधा पुत्री श्री सुखमल जातियान जाटव निवासियान मेवखेडा हाल निवासी देसूला ।
.......................तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। जे मिन वादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता स्व0 सुखमल पुत्र श्री गोपाल की खातेदारी की आराजी है तथा मिन वादी के पिता फौत हो चुके है उनकी विरासत का इन्तकाल दर्ज होना शेष है। उक्त आराजी में 1/2 भाग गंगाराम पुत्र श्री छोटा के नाम दर्ज है परन्तु मिन वादी द्वारा उससे दावा हाजा में कोई रिलीफ नही चाही गई इसलिये वाद में उसे पक्षकार नही बनाया है। तथा तरतीबी प्रतिवादीगण मिन वादी की बहन है जो वाद में तरतीबी पक्षकार बनाई गई है। जो हम दोनों ने एक ही रिलीफ चाही है। उक्त आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। जो गैर काबिज शख्स है तथा मिन वादी शान्ति प्रिय व्यक्ति है जो कानून पर विश्वास करता है तथा असल प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रहा है।

2. यह है कि उक्त आराजी मै 1/2 भाग गंगाराम पुत्र श्री छोटा के नाम दर्ज है परन्तु मिनवादी द्वारा उससे दावा हाजा मे कोई रिलिफ नही चाही गई इसलिये वाद मे उसे

झगडालू प्रवृति के आदमी है जो लठ के बल से जबरन विवादित आरजाी को हडप करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत ना करे तथा कोई निर्माण कार्य ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी में दिनांक 08.06.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। उभयपक्षकारान अनुपस्थित।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी में दिनांक 08.06.2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी विवादित आराजी का खातेदार है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे कश्त में प्रतिवादीगण बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा न करे व किसी प्रकार का निर्माण ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली नियत मुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत खेडी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

... आराजी मे 1/2 भाग गंगाराम पुत्र श्री छोटा के नाम दर्ज है परन्तु

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/65/18 निर्णय दिनांक : 08.06.2018

उनवान

1. वेदराम पुत्र श्री सुखमल जाति जाटव निवासी मेवखेडा हाल निवासी देसूला ।

..............................वादी

बनाम

1. शीशराम पुत्र श्री अमरा
2. फूलसिंह पुत्र श्री रामसिंह
3. सुरेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह जाति जाटव निवासी मेवखेडा तहसील रामगढ

......................असल प्रतिवादीगण

4. सन्ता पुत्री श्री सुखमल
5. रामकली पुत्री श्री सुखमल
6. सावत्री पुत्री श्री सुखमल
7. विधा पुत्री श्री सुखमल जातियान जाटव निवासियान मेवखेडा हाल निवासी देसूला ।

.......................तरतीबी प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जांता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 597 रकबा 0.29, 598 रकबा 0.29, 599 रकबा 0.05, 665 रकबा 0.12, 666 रकबा 0.11 हैक्ट0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे कशत में प्रतिवादीगण बेजा रूकाटव व मजाहमत पैदा न करे व किसी प्रकार का निर्माण ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

... इसलिय उक्त वाद मिनवादी की और से पेश किया जा रहा है।

2. यह है कि उक्त आराजी मै 1/2 भाग गंगाराम पुत्र श्री छोटा के नाम दर्ज है परन्तु मिनवादी द्वारा उससे दावा हाजा मे कोई रिलिफ नही चाही गई इसलिये वाद मे उसे